



विषयक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 08 जून, 2026

विषय: सब्सीडियरी हरदोई शाखा नहर के दाँये बैंक के किमी० 10.600 से किमी० 15.087 के मध्य क्षतिग्रस्त बैंक की पुनर्स्थापना एवं इनलेट (किमी० 10.600, किमी० 12.450 एवं किमी० 13.625) के निर्माण कार्य की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक संख्या-692/1608/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 18.05.2026 एवं शासनादेश संख्या-496/2024/529पी/24-27-सिं0-4/001-137-डब्ल्यू-परि0-2024, दिनांक 21.08.2024 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सब्सीडियरी हरदोई शाखा नहर के दाँये बैंक के किमी० 10.600 से किमी० 15.087 के मध्य क्षतिग्रस्त बैंक की पुनर्स्थापना एवं इनलेट (किमी० 10.600, किमी० 12.450 एवं किमी० 13.625) के निर्माण कार्य की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 के लेखा शीर्षक 4700-08-051-10-14-24 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 296.00 लाख के सापेक्ष रू० 95.94 लाख (रुपये पनचानवे लाख चौरानवे हजार मात्र) परियोजना के कार्यों हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र एवं कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(2) उक्त परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं समय से पूर्ण कराया जाना सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **95,94,000** (रुपये पंचानवे लाख चौरानवे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष **2026-27** के आय-व्ययक में अनुदान संख्या **094** लेखा शीर्षक **4700080511014** सम्बद्ध कार्य मानक **मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रमा कान्त वर्मा

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (शारदा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, बरेली।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली।
- 8- अनु सचिव/नोडल अधिकारी (बजट एलाटमेंट सिस्टम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/नियोजन अनुभाग-3
- 10- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।